भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

U 149845

हम नोमान खान पुत्र स्वर्गीय अबुल इरफान खान निवासी रासमण्डल, पोस्ट-सदर, जिला-जौनपुर के हैं। इन्सान होने के नाते हम परोपकार एवं जनसेवा की भावना से प्रेरित होकर संस्थापक/संरक्षक एवं प्रबन्धक की हैसियत से एक सामाजिक एवं शैक्षणिक ट्रस्ट का नाम- मदर सैय्यदा एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट रख रहे हैं। यदि इस नाम का कोई ट्रस्ट से एकरूपता हो रही हो तो यह महज एक संयोग होगा।

1.	ट्रस्ट का नाम	:	मदर सैय्यदा एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट
2.	ट्रस्ट का पता	:	रासमण्डल, मानिक चौक, जौनपुर (उ.प्र.)
3.	ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारत
4.	ट्रस्ट का उद्देश्य	:	ट्रस्ट का निम्नलिखित उद्देश्य है-

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े तथा गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को तैयार करना व संचालन करना।

शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु प्राइमरी स्तर से लेकर इण्टरमीडिएट तथा आवश्यक होने पर स्नातकोत्तर कालेज इत्यादि की स्थापना करना तथा अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।

एलोपैथिक मेडिकल कालेज तथा नर्सिंग कालेज की स्थापना करना और उनका संचालन करना।

पुरूषों एवं महिलाओं के विकास एवं उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग की व्यवस्था व संचालन करना।

बेरोजगार एवं निर्धन छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण एवं सहायता देना।

खेलकूद कार्यक्रमों का संचालन तथा आयोजन करना।

जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग या लिंग का भेद किये बिना निर्धन, जरूरतमंद एवं योग्य छात्रों को उनकी फीस में छूट देकर छात्रवृत्ति तथा पुरस्कार आदि देकर सहायता करना।

नि:शुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।

ट्रस्ट का सामाजिक उद्देश्य-

उन योजनाओं का संचालन करना जिनसे ग्रामीण महिलाओं, बच्चों, नवयुवकों का आर्थिक, सामाजिक शैक्षणिक उत्थान करने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उनको प्रशिक्षित करना।

हरिजन, निर्बल, अल्पसंख्यक, महिलाओं, ग्रामीण आदि के लिए सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं द्वारा उन्हें लाभान्वित कराने में सहयोग करना।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा सरकार की नीतियों का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार करना।

वैकल्पिक ऊर्जा श्रोतों, पेट्रोलियम बचत, सड़क सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, मद्यनिषेध, महिलाओं को समानता के अधिकार का प्रचार-प्रसार करना तथा क्रियान्वित करना।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के विकास एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु विकास कार्यों का क्रियान्वयन करना।

परम्परागत सांस्कृतिक विधियों को बढ़ावा देना, विलुप्त हो रही परम्पराओं को पुनः जागृत करना।

कार्यक्षेत्र में विज्ञान शिक्षा तथा ग्रामीण विकास के कार्य करना एवं श्रमिक/महिला/दलित/आदिवासी समुदाय/युवाओं व बच्चों के शैक्षिक,

Noman Khan

क्र० ....

नाम ....

निवासी ....

क्रय का प्रयोजन ....

ज्ञान प्रकाश लं०न०-29८

उमरपुर कहट्टा: जौनपुर

नवीनीकरण तिथि 31-3-1?

SENIOR TREASURY OFFICER

16 FEB 2015

JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रामजी सहाय
उपरोकडिबा
कोषागार, जौनपुर

CL 743389

सांस्कृतिक, सामाजिक चारित्रिक, वैज्ञानिक एवं रचनात्मक विकास करना तथा उनकी शाखाएं खोलना एवं उनका संचालन करना।

ट्रस्ट का संचालन

मदर सैय्यदा एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट का संचालन करने के लिए क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, उपप्रबन्धक, कोषाध्यक्ष एवं सदस्यगण रहेंगे। जिसमें नोमान खान पुत्र स्व. अबुल इरफान खान, निवासी रासमण्डल, पोस्ट-सदर, जिला-जौनपुर प्रबन्धक व श्रीमती ताज इशरत पत्नी-इमरान खान, बल्लोच टोला, पोस्ट-सदर, जिला-जौनपुर अध्यक्ष प्रबन्धकारिणी सदस्यों के नाम पता पद एवं व्यवसाय जिनको ट्रस्ट के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

नाम	पता	पद	पेशा
1. **श्रीमती ताज इशरत पत्नी श्री इमरान खान**	बल्लोच टोला, जौनपुर	अध्यक्ष	गृहणी
2. **डा. अली मजहर नश्तर पुत्र स्व. हकीम मन्जूर**	सब्जी मण्डी, जौनपुर	उपाध्यक्ष	चिकित्सक
3. **नोमान खान पुत्र स्व. अबुल इरफान खान**	रासमण्डल, जौनपुर	प्रबन्धक	शिक्षाविद्
4. **जावेद खान पुत्र स्व. वकील खान**	ग्राम-अरनौला, आजमगढ़	उपप्रबन्धक	व्यवसाय
5. **भारत कपूर पुत्र स्व.प्रेम नारायण कपूर**	मछरहट्टा, जौनपुर	कोषाध्यक्ष	व्यवसाय
6. **असलम अंसारी पुत्र श्री अब्दुस्सलाम**	रसूलाबाद, जौनपुर	सदस्य	अधिशासी अभियन्ता
7. **सुनीता अस्थाना पुत्री स्व. बी.पी. अस्थाना**	रासमण्डल, मानिक चौक, जौनपुर	सदस्य	शिक्षाविद्
8. **एम.अबु जफर हस्सान नदवी पुत्र स्व. दीन मोहम्मद**	वन्जारपट्टीनाका, भिवण्डी, महाराष्ट्र	सदस्य	सेवानिवृत्त प्राध्यापक
9. सुजीत कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव	मो. रिजवी खाँ, जौनपुर	सदस्य	व्यवसाय

मदर सैय्यदा एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट का मुख्यालय तथा कार्यकारी कार्यालय मोहल्ला रासमण्डल, पोस्ट-सदर, जिला-जौनपुर होगा। **मदर सैय्यदा एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट** की स्थापना प्रबन्धक की हैसियत से हम **10,000 रूपये (रू. दस हजार मात्र)** से कर रहे हैं। अन्य सहयोगी ट्रस्टीगण से भी यही आशा करते हैं।

उपरोक्त ट्रस्ट के संचालन के लिए ट्रस्ट का अपना मुद्राकोष होगा जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या प्राइवेट बैंक या डाकघर में ट्रस्ट के नाम से खाता खोला जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक एवं अध्यक्ष में से किसी एक के हस्ताक्षर से संचालित होगा। ट्रस्ट की बैठक के संचालन की अध्यक्षता ट्रस्ट का अध्यक्ष करेगा। ट्रस्ट के सदस्यगणों को नियुक्त करने व हटाने का अधिकार ट्रस्ट के प्रबन्धक को होगा।

यह ट्रस्ट अपने हित में किसी भी नये नियम का निर्माण कर सकती है या जो ट्रस्ट के हित के विरूद्ध है उन पुराने नियमों को समाप्त कर सकती है। यह अधिकार प्रबन्धक के पास होगा।

समय-समय पर ट्रस्ट के लक्ष्यों, उद्देश्यों, प्रशासन तथा प्रबन्धन तथा ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बंध में प्रबन्धक को आडिटर, आर्किटेक्ट, सर्वेयर, एकाउन्टेन्ट, वैलुअर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, मैनेजर, पर्यवेक्षक, शिक्षकों तथा लिपिकों तथा

Noman Khan

SENIOR TREASURY OFFICER
12 MAR 2015
JAUNPUR

यांस पत्र

10.000.00	100.00	20	120.00	800
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री नोमान खान
पुत्र श्री स्व0 अबुल इरफान खान
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी रासमण्डल पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 17/3/2015 समय 12:13PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

Noman Khan

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
S.K.
(सरोज कुमार सिंह)
उप निबन्धक (सदर)
जौनपुर
17/3/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री नोमान खान
पुत्र श्री स्व0 अबुल इरफान खान
पेशा कृषि
निवासी रासमण्डल पर0 हवेली तह0 सदर जि0
जौनपुर

Noman Khan

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री इरशाद अहमद
पुत्र श्री अनवार
पेशा व्यापार
निवासी मीरमस्त पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

इरशाद

व श्री मो0 जाकीर
पुत्र श्री जमीर
पेशा व्यापार
निवासी मुफ्ती पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
S.K.
(सरोज कुमार सिंह)
उप निबन्धक (सदर)
जौनपुर
17/3/2015

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 199369

आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा हटाने व उन्हें इस प्रकार का शुल्क या पारिश्रमिक या अन्यथा जैसा की प्रबन्धक समय-समय पर अपने निर्वाध विवेक से उपयुक्त समझे, भुगतान करने का अधिकार होगा।

स्थापित ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन संग्रह देश-विदेश की आम जनता तथा संस्थाओं से चंदे के रूप में एवम् अनुदान के रूप में या किसी भी प्रकार की भूमि व भवन का दान/पट्टा ट्रस्ट के हित में हो, यह अधिकार प्रबन्धक के पास होगा।

ट्रस्ट के लिए किसी सम्पत्ति को खरीदना व ट्रस्ट की सम्पत्ति को बेचने का अधिकार व सुधारना अदला-बदली करना, लीज पर देने का अधिकार ट्रस्ट के प्रबन्धक को होगा।

कालॉन्तर में ट्रस्ट के उत्तराधिकारी वही होंगे जो प्रबन्धक के विधिक उत्तराधिकारी हैं।

अचल सम्पत्तियों की आय एवं लाभ में से सभी किरायो, मूल्यों, करों तथा अन्य खर्चों का भुगतान करने के बाद बचे धन को प्रबन्धक जहाँ उचित समझे मरम्मत कराने में या निवेश करने में या अचल सम्पत्तियों को बहाल करने या नवनिर्माण कराने का अधिकार प्रबन्धक को होगा।

अनुदान, दान, उपहार, धन की वसीयत तथा सभी प्रकार चल व अचल सम्पत्ति को बिना शर्त या किसी विशेष नियम व शर्त जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो, को मांगना, प्राप्त करना या स्वीकार करने का अधिकार प्रबन्धक को होगा।

उपरोक्त ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी प्रकार के निर्णय को अंतिम रूप देने का अधिकार प्रबन्धक को होगा तथा प्रबन्धक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या प्राइवेट बैंक से ऋण लेने का अधिकार रखेगा।

उपरोक्त ट्रस्ट के प्रबन्धक ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी संस्थाओं के भी प्रबन्धक होंगे।

ट्रस्ट के समस्त सदस्यों से ट्रस्ट के विषय में सहमति ले ली गयी है। अतएव यह ट्रस्ट पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आये

नियमावली

आजीवन सदस्य- संस्था को 5001 रूपये धनराशि अदा करने वाले व्यक्ति संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

सामान्य सदस्य- वे व्यक्ति जो संस्था को 1500 रूपये वार्षिक शुल्क के रूप में जमा करेंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य मानें जायेंगे।

संरक्षक सदस्य - समाज के सम्मानित व्यक्ति जो संस्था को सुचारू रूप से संचालन के लिए तन-मन एवं धन से पूर्णरूपेण सहयोग प्रदान करेंगे वे संस्था के प्रबन्धसमिति के 2/3 बहुमत से संरक्षक सदस्य मनोनीत कर लिये जायेंगे।

निम्न तथ्यों के आधार पर संस्था की सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

किसी सदस्य की मृत्यु होने पर। किसी सदस्य के पागल या दिवालिया होने पर। किसी सदस्य के न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर। किसी सदस्य के स्वयंलिखित त्यागपत्र देने पर। किसी सदस्य के निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा न करने पर। किसी सदस्य के संस्था के विरूद्ध हानिकारक कार्य करने पर।

Noman Khan

SENIOR TREASURY OFFICER

12 MAR 2015

JAUNPUR

ज्ञान प्रकाश ... -29...

उपनगर कचहरी, जौनपुर

नवीनीकरण तिथि 31-3-1...

न्यासी

Registration No.: 47 Year : 2,015 Book No. : 4

0101 नोमान खान

स्व0 अबुल इरफान खान

रासमण्डल पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 199370

बैठकें- साधारण सभा की सामान्य बैठक कम से कम एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

सूचना अवधि- साधारण सभा के सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना बैठक से 3 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

गणपूर्ति- संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों के कम से कम 2/3 उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

वार्षिक अधिवेशन- संस्था का वार्षिक अधिवेशन 15 अगस्त के अवसर पर हर वर्ष हुआ करेगा।

ट्रस्ट के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान करना।

प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार कर उसे स्वीकृत करना।

प्रबन्धकारिणी समिति

गठन- साधारण सभा के दो तिहाई बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, उपप्रबन्धक, कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य होंगे।

बैठकें- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकेगी।

सूचना अवधि- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना बैठक से 10 दिन पूर्व तथा विशेष आवश्यक बैठक की सूचना 1 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित रूप से दी जायेगी।

गणपूर्ति- प्रबन्धकारिणी समिति के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों के कम से कम 2/3 उपस्थिति में सभी बैठकों की गणपूर्ति पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति- प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी पदाधिकारी या सदस्य का स्थान रिक्त होने पर साधारण सभा के बहुमत से शेष अवधि के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से किसी भी योग्य व्यक्ति का चुनाव कर लिया जायेगा।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य

संस्था के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना।

संस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उपसमितियों का गठन करना तथा आवश्यकता पड़ने पर बैंक से ऋण प्राप्ति करना।

ट्रस्ट के लिए अनुदान, दान, चंदे आदि प्राप्त करना तथा उसके लिए यथाविधि रसीदें देना।

वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, विमुक्ति आदि के लिए निर्णय लेना।

अन्य सभी कार्यों का संचालन करना जो संस्था के हित में हो।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

Noman Khan

ज्ञान प्रकाश ल०न०-296
उमरपुर कुल्हुआ, जौनपुर
नवीनीकरण तिथि 31-3-1[illegible]

SENIOR
TREASURY OFFICER
12 MAR 20[illegible]
JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 199371

(5)

अध्यक्ष :

ट्रस्ट के साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
किसी भी विचारणीय विषय पर समान मत होने पर एक अलग से निर्णायक मत देना।
बैठक करने के लिए प्रबंधक के राय से दिनांकों का अनुमोदन करना तथ उसमें परिवर्तन करन।
अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके समस्त अधिकारों का प्रयोग करना तथा उनके निर्देशों का पालन करना।

प्रबन्धकः

ट्रस्ट के लिए अनुदान, दान, चन्दे आदि प्राप्त करना तथा उसके लिए यथाविधि रसीदे देना।
बैठक करने के लिए सभी सदस्यों को सूचनायें देना तथा बैठक में की गयी कार्यवाही को लिखना।
आवश्यकतानुसार सामान्य एवं विशेष बैठक बुलाना कोरम के अभाव में बैठकें स्थगित करना।
ट्रस्ट से सम्बन्धित कागजातों, प्रपत्रों आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।
वैतनिक कर्मचारियों के वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशि आदि का भुगतान स्वीकृत करना।
वैतनिक कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
आय-व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करवाना तथा आडिट करना।
ट्रस्ट की ओर से अदालती कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करना।
ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना।
अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे।

कोषाध्यक्ष

ट्रस्ट की निधियों एवं सम्पत्तियों के लेखे को तैयार करना। आय-व्यय का वार्षिक विवरण तैयार कर उसे प्रबन्धक को देना।
अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार मान्य होंगे।

ट्रस्ट के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :साधारणसभा के दो तिहाई बहुमत से ट्रस्ट के नियमों एवं विनियमों में नियमानुसार संशोधन एवं परिवर्तन किया जायेगा।

ट्रस्ट का कोष-किसी भी स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर संस्था की समस्त धनराशियों को जमा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबंधक, अध्यक्ष में से किसी एक के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा

ट्रस्ट के आय-व्यय का लेखापरीक्षण (आडिट) ट्रस्ट के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्त आय-व्यय निरीक्षक द्वारा संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

Noman Khan

निवासी ....

क्रय का प्रयोजन ....

ज्ञान प्रकाश लै०नं० 890
उमरपुर हरद्वार, जौनपुर
नवीनीकरण तिथि 31-3-1?

SENIOR
TREASURY OFFICER
12 MAR 2015
JAUNPUR

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 199372

ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्व- ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध लगाये गये अदालती कार्यवाही के संशोधन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबंधक पर होगा।

राज्य सरकार के अन्तर्गत आने वाली नियम व शर्तें ट्रस्ट को मान्य होगी।

विद्यालय के प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा। संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा। संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमान्य वेतनमानों तथ अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हाँ तो कृपया प्रबंधधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध स्वीकार हैं।

TYPED BY & DRAFTED BY NOMAN KHAN

17.03.15

दिनांक 17-03-2015

हस्ताक्षर

Noman Khan

गवाह

शशीकुमार श्रीवास्तव S/o स्व० ललिता प्रसाद श्रीवास्तव नि० मु० मीरमस्तशहर जौनपुर

गवाह Fakeer S/o Zameer Mufti Mohalla Jaunpur

SENIOR
TREASURY OFFICER
12 MAR 2015
JAUNPUR

-296
जमरपुर ... जौनपुर
नवीनीकरण तिथि 31-3-15

आज दिनांक **17/03/2015** को

वही स **4** जिल्द स **94**

पृष्ट स **65** से **76** पर कमांक **47**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(सरोज कुमार सिंह)

उप निबन्धक (सदर)

जौनपुर

17/3/2015